

| | | |
|------------|---|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेंस / एल.आर. / 2006 / 3159 / डूंगरपुर</u> राजस्थान सरकार बनाम हलिया | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
| 16-04-2026 | <p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्रीमती नीतू शेखावत, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">-- आदेश</p> <p>1- यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, डूंगरपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 04-01-2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।</p> <p>2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार डूंगरपुर ने धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, डूंगरपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम माथूगामडा खास में वर्तमान भू-प्रबन्ध में आराजी सं. 511 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि किस्म नाला राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी में से रकबा आधा बीघा (10 बिस्वा) भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थी हलिया पिता वाला जाति मीणा को दिनांक 28-05-1968 को किया गया है जो नामान्तरकरण सं. 41 के द्वारा रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02-8-2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/ नियमनों को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में है। जिला कलेक्टर द्वारा रेफरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 04-01-2006 से राजस्व मण्डल को प्रेषित कर अभिशंषा की है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में किये गये इंड्राजात निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय नाला दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें।</p> <p>3- अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई और जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के साथ निर्णय का अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 2006 / 3159 / डूंगरपुर</u> राजस्थान सरकार बनाम हलिया | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| | <p>4- विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी नाला नाली सिवायचक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति के अनुसार रिकार्ड में बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती नाला दर्ज करने का निवेदन किया।</p> <p>5- पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम माथुगामडा बास तहसील व जिला डूंगरपुर विवरण में खसरा सं. 511 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से 10 बिस्वा नामान्तकरण सं. 41 के द्वारा अप्रार्थी हलिया पिता वाला खातेदार के नाम आवंटित होना अंकित है। जमाबन्दी खतौनी ग्राम माथुगामडा बास तहसील व जिला डूंगरपुर संवत् 2052 से 2055 में खसरा सं. 778/511 रकबा 10 बिस्वा हलिया पिता वाला मीणा सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकोर्ड है। नामान्तकरण पंजिका में जरिये नामान्तकरण सं. 41 अप्रार्थी हलिया पिता वाला जाति भील सा. देह खातेदार के नाम आवंटित होना अंकित है।</p> <p>6- राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार “नाला नाली” किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार है:-</p> <p>“4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules,</p> | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 2006 / 3159 / डूंगरपुर</u> राजस्थान सरकार बनाम हलिया | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| | <p>namely-</p> <p>(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"</p> <p>इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार है:-</p> <p>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-</p> <p>Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(i) pasture land;</p> <p>(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>(iii) land covered by water and used for the purpose of growing Singhara or other like produce;;</p> <p>(iv) land under shifting or unstable cultivation;</p> <p>(v) land comprised in gardens owned and maintained by the State Governments;</p> <p>(vi) land acquired or held for a public purpose or a work of public utility;</p> <p>(vii) land which, at the commencement of this Act or at any time thereafter, is set apart for military encamping grounds;</p> <p>(viii) land situated within the limits of cantonment;</p> <p>(ix) land included within railway or canal boundaries;</p> <p>(x) land within the boundaries of any Government forest;</p> <p>(xi) municipal trenching grounds;</p> <p>(xii) land held or acquired by educational institutions for purposes of instruction in agriculture or for play-ground; and</p> <p>(xiii) land within the boundaries of a Government agriculture or gras farm;</p> <p>(xiv) land which has been set apart or is, in the opinion of the Collector, necessary for flow of water thereon in to any reservoir or tanka for drinking water for a village or for surrounding villages:</p> <p>प्रश्नगत भूमि पूर्व में नाला नाली की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,</p> | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 2006 / 3159 / डूंगरपुर</u> राजस्थान सरकार बनाम हलिया | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| | <p>1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं:-</p> <p>All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.</p> <p>7- उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जो उपर्युक्त विवेचन के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>8- फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि से सभी संबंधित नामांतरकरण निरस्त किये जाते हैं तथा खसरा नंबर 778/511 रकबा 10 बिस्वा भूमि के अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज समस्त राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड के अनुसार वापिस उसके मूल स्वरूप किस्म “नाला” राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।</p> <p>9- निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(राजेन्द्र सिंह कविया) सदस्य</p> | |